न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर. खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :— सुरेश कुमार बलाई (आर.ए.एस)

प्रार्थनापत्र संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
185 / 24	02.09.2024	12.05.2025

बउनवान

1. सोमदत्त पुत्र रामजीलाल जाति मेघवाल निवासी दाधिया तह0 मुण्डावर जिला अलवर हाल जिला खैरथल तिजारा राज0।

:— प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज0।

<u>अप्रार्थी</u>

प्रार्थना पत्र

अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि

1. यह है कि आराजी हाल ख० नम्बरान 285 रकबा 0.01 हैक0, 286 रकबा 0.17 हैक0, का 11/480 भाग 651 रकबा 0.70 हैक0, का 11/480 भाग वाके ग्राम दाधिया तह० मुण्डावर में स्थित है। जो आराजी इस वाद में विवादित आराजी कहलायेगी।
2. यह है कि उपरोक्त आराजी मिन वादी की पैत्रिक आराजी है, जो आराजी वादी के पिता रामजीलाल के कब्जेकाश्त की रही है तथा मिन वादी के पिता रामजीलाल के फौत होने पर आराजी मिन वादी को जरियें विरास्त प्राप्त हुयी है, जिस पर मिन वादी काबिज काश्त है, तथा आराजी बाबत अन्य सहखातेदारान से कोई विवाद नही है। इसलिए सहखातेदारान से कोई रिलीफ नही चाहने के कारण दावा में पक्षकार नही बनाया गया है।
3. यह है कि मिन वादी विवादित आराजी पर काबिज काश्त है, लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व रिर्कोड में मिन वादी का नाम सोमदत्त पुत्र राजू खिलाफ मौका व खिलाफ कानून दर्ज कर दिया, जबकी मिन वादी का ही नाम सोमदत्त उर्फ राजू पुत्र रामजीलाल रहा है, लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा मिन वादी का नाम राजस्व रिर्कोड में सोमदत्त दर्ज कर, मिनश वादी का उप नाम वल्दियत में राजू खिलाफ मौका व खिलाफ कानून दर्ज कर दिया, जबकी मिन वादी की वल्दीयत रामजीलाल रहा है। जो नाम सही है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

खिलाफ मौका व खिलाफ कानून दर्ज कर दिया, जबकी मिन वादी की वल्दीयत रामजीलाल रहा है। जो नाम सही है।

Scanned with OKEN Scanner

4. यह है कि मिन वादी अपने हिस्से की आराजी पर काबिज है तथा काश्त कर रहा है तथा कभी राजस्व रिर्कोड देखने की आवश्यकता नही पड़ी, लेकिन अब दिनांक 20/7/2024 को मिन वादी को राजस्व रिर्कोड की आवश्यकता होने पर हल्का पटवारी से सर्म्पक किया तथा राजस्व रिकॉड की नकल प्राप्त की तो मिन वादी को जानकारी हुयी कि मिन वादी की वल्दीयत गलत दर्ज हो रही है, तथा राजस्व रिर्कोड में मिन वादी की वल्दीयत के गलत दर्ज रहने से मिन वादी को भारी नुकसान हो रहा है तथा मिन वादी आराजी का समूचित तरीके से उपयोग उपभोग करने से वंचित हो रहा है। इसलिए उक्त गलत अंकन काबिले दुरूस्त है। जिसे दुरूस्त किया जावे। इसलिए दावा इश्तकरारहक मय दूरूस्ती पेश किया जाना लाजिमी आया है।

5. यह है कि विवादित आराजी मिन वादी की पैत्रिक आराजी रही है, तथा मिन वादी के पिता के फौत होने पर आराजी मिन वादी को जरियें विरास्त प्राप्त हुयी है, लेकिन राजस्व रिर्कोड में मिन वादी की वल्दीयत रामजीलाल के स्थान पर राजू खिलाफ मौका व खिलाफ कानून दर्ज कर दिया, जबकी मिन वादी का ही गांव में बोलचाल की भाषा का नाम राजू रहा है, तथा मिन वादी के समस्त दस्तावेजात जैसें बैंक पास; राशन कार्ड, पहचान पत्र व अन्य दस्तावेज में वल्दीयत रामजीलाल ही दर्ज है मात्र उकत राजस्व रिर्कोड में ही मिन वादी की वल्दीयत रामजीलाल के स्थान पर राजू दर्ज है, जो गलत है, जबकी मिन वादी के पिता का नाम रामजीलाल रहा है,, जो सही है, इसलिए न्यायहित में राजस्व रिकॉड में दर्ज मिन वादी का नाम सोमदत्त पुत्र राजू को हजफ कर, उसके स्थान पर सोमदत्त पुत्र रामजीलाल दर्ज किया किया जाकर, राजस्व रिकॉड दूरूस्त फरमाया जावे।

6. यह है कि मिन वादी के पिता का नाम रामजीलाल है, लेकिन राजस्व रिर्कोड में मिन वादी की वल्दीयत में राजू दर्ज हो रहा है, जो अंकन गलत है, इसलिए मिन वादी की वल्दीयत राजू के अंकन को हजफ कर, मिन वादी की वल्दीयत रामजीलाल दर्ज करने से किसी भी काश्तकार को कोई नुकसान कारित नही होता है तथा राजस्व रिर्कोड में मिन वादी की की वल्दीयत गलत दर्ज रहने वादी को काफी परेशानी हो रही है तथा गिन वादी अपने पिता से जरियें विरास्त प्राप्त आराजी का समुचित तरीके से उपयोग उपभोग करने से वंचित हो रहा है, इसलिए न्यायहित में राजस्व रिर्कोड दूरूस्त फरमाया जावे।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि

अतः प्रार्थना है कि वाद वादी बरखिलाफ प्रतिवादी सं01 निम्न प्रकार डिकी फरमाई जावेः—

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

(अ) यह है कि डिकी इश्तकरारहक मय दूरूस्ती इस अमर की पारित की जाकर हाल ख0नम्बरान 285 रकबा 0.01 हैक्0, 286 रकबा 0.17 हैक्०, का 11/480 भाग, 651 रकबा 0.70 हैक्०, का 11/480 भाग वाके ग्राम दाधिया तह0 मुण्डावर तह० मुण्डावर के राजस्व रिर्कोड में दर्ज मिन वादी का नाम सोमदत्त पुत्र राजू को हजफ कर, उसके स्थान पर सोमदत्त पुत्र रामजीलाल दर्ज करने के आदेश दिया जाकर, इसी प्रकार से राजस्व रिर्कोड में दर्ज किया जाकर, राजस्व रिर्कोड दूरूस्त फरमाया जाने की कृपा करे। महति कृपा होगी।

(ब) अन्य दादरसी बनजदीक अदालत श्रीमान उचिंत समझे बख्सी जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की विधिवत रूप से तामिल करावाई गई, अप्रार्थी की विधिवत रूप से तामिल होने के बाद उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत किया गया। जो निम्न प्रकार से है कि

1. मुताबिक राजस्व रिकोर्ड ग्राम दाधिया में खसरा नम्बर 258/0.01, 286/0.17 किस्म बारानी द्वितीय सोमदत्त पुत्र राजू हिस्सा 11/480 जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार रिकोर्ड दर्ज है।
2. ग्रामवासियो से पूछताछ करने पर पाया गया कि सोमदत्त पुत्र राजू व सोमदत्त पुत्र रामजीलाल दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है।
3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र आदि में प्रार्थी का नाम सोमदत्त पुत्र रामजीलाल है तथा प्रार्थी राजस्व रिकोर्ड में भी सोमदत्त पुत्र राजू के स्थान पर सोमदत्त पुत्र रामजीलाल करवाना चाहता है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकोर्ड में सोमदत्त पुत्र रामजीलाल किये जाने की अनुशषा की जाती है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत 2071—2074, मिलान क्षेत्रफल, जमाबन्दी सम्वत 2070, जमाबन्दी सम्वत 2062—2065, जमाबन्दी सम्वत 2066—2069, लैटर पैड सरपंच ग्राम पंचायत गादुवास, शपथपत्र राजेश कुमार रामनिवास राहुल राजेन्द्र महेन्द्र कालूराम बाबूलाल रामहेत बनवारी मालसिंह, परिवार राशन कार्ड पेश की।

प्रार्थी वकील ने अपने बहस के दौरान कथन कहे कि विवादित आराजी में प्रार्थी की बल्दीयत गलत दर्ज है। प्रार्थी की बल्दीयत सोमदत्त पुत्र रामजीलाल दर्ज होनी थी परन्तु सोमदत्त पुत्र राजू दर्ज हो गयी जिसकी पुष्ठि तहसीलदार मुण्डावर द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई है। जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी के राजस्व रिर्कोड में दर्ज सोमदत्त पुत्र राजू को हजफ कर उसके स्थान पर सोमदत्त पुत्र रामजीलाल दर्ज किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन, प्रार्थी वकील की बहस पर मनन करने पर प्रार्थना पत्र का विवेचन इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तोवाज में प्रार्थी की बल्दीयत सोमदत्त पुत्र रामजीलाल ना होकर सोमदत्त पुत्र राजू दर्ज है। जिसको दुरूस्त किये जाने बाबत तहसीलदार मुण्डावर द्वारा अभिशंषा जाहिर की गई है। इसलिए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र के उक्त विवेचन के अनुसार यह न्यायालय प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार मुण्डावर को निर्देशित किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 258 रकबा 0.01, 286 रकबा 0.17 है0 वाके ग्राम दाधिया तहसील मुण्डावर में अंकित सोमदत्त पुत्र राजू को कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर सोमदत्त पुत्र रामजीलाल राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार मुण्डावर को अहकाम जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 12.05.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(सुरेश कुमार बलाई)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

Scanned with OKEN Scanner